



# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक १०/अजमेर/.....1997-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानी निस्टर्न एजुकेशन सोसायटी

अजमेर

अजमेर

जिला

का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 ( राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958 ) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक १०/०५/९८ साह मुरझरी सन् एक हजार नौ सौ ०० को अजमेर में किया गया ।

१ एन०३० नौद १

रजिस्ट्रार संस्थाएं,  
अजमेर 305001